

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, AJMER

सहायक लोक अभियोजक – द्वितीय श्रेणी

अभियोजन विभाग के पदों हेतु ली जाने वाली संवीक्षा परीक्षा के प्रश्न-पत्र का क्षेत्र (Scope)

(A) **Indian Penal Code 1860**

(भारतीय दण्ड संहिता 1860)

Candidates are to study all the chapters of the Act excluding the following : -

परीक्षार्थी निम्न अध्यायों के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य सभी अध्यायों का अध्ययन करेंगे :-

- (i) Offences by or relating to Public Servants (Chapter IX)
लोक सेवकों के द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध (अध्याय IX)
- (ii) Offences relating to Elections (Chapter IX A)
निर्वाचन सम्बन्धित अपराध (अध्याय IX अ)
- (iii) Offences relating to Weights and Measures (Chapter XIII)
बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराध (अध्याय XIII)
- (iv) Offences of Property and other Marks (Sections 478to 489)
सम्पत्ति चिन्हों व अन्य चिन्हों से सम्बन्धित अपराध (धारा 478 से 489 तक)
- (v) Criminal breach of Contract of Service (Chapter XIX)
सेवा सविदाओं के आपराधिक भंग (अध्याय XIX)
- (vi) Offences relating to Marriage (Chapter XX)
विवाह सम्बन्धित अपराध (अध्याय XX)

(B) **Criminal Procedure Code 1973**

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

Candidates are to study all the chapters of the Act excluding the following : -

परीक्षार्थी निम्न अध्यायों के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य सभी अध्यायों का अध्ययन करेंगे :-

- (i) Attendance of persons confined or detained in prison (Chapter XXII)
कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी (अध्याय 22)
- (ii) Provisions as to accused persons of unsound mind (Chapter XXV)
विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रावधान (अध्याय 25)
- (iii) Offences affecting the administration of justice (Chapter XXVI)
न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध (अध्याय 26)
- (iv) Submission of Death sentences for confirmation (Chapter XXVIII)
मृत्यु दण्डादेशों के पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना (अध्याय 28)
- (v) Death sentence, Imprisonment, Levy of fine, provisions regarding execution (Chapter XXXII sections 413 to 431)
मृत्यु दण्डादेशों, कारावास, जुर्माने का उदग्रहण, निष्पादन के बारे में साधार उपबन्ध (अध्याय 32 धारा 413 से 431 तक)
- (vi) Disposal of property (Chapter XXXIV)
सम्पत्ति का व्ययन (अध्याय 34)
- (i) Irregular Proceedings (Chapter XXXV)
अनियमित कार्यवाहियों (अध्याय 35)

(C) **1872 (साक्ष्य अधिनियम 1872)**

Candidates are to study all the chapters of the Act excluding the following : -

परीक्षार्थी निम्न अध्यायों के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य सभी अध्यायों का अध्ययन करेंगे :-

- (i) Statements made under special circumstances (Sections 34 to 39)
विशेष परिस्थितियों में दिये गये कथन (धारा 34 से 39)
- (ii) Facts which need not to be proved (Sections 56 to 58)
जिन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं (धारा 56 से 58)
- (iii) Presumptions as to documents (Sections 79 to 89)
दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएँ (धारा 79 से 89)
- (iv) Estoppel (Sections 115 to 117)
विबन्धन (धारा 115 से 117)

(D) **Minor Acts – लघु अधिनियम**

- (i) Motor Vehicle Act 1988– मोटरयान अधिनियम 1988
- (ii) Rajasthan Excise Act 1950 – राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950
- (iii) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. 1985
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- (iv) Prevention of Food Adulteration Act 1954–
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954
- (v) Indian Arms Act 1959 - आयुध अधिनियम 1959
- (vi) Prevention of Atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1989
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989

* * * * *